

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 176/ 2020 दिनांक: अगस्त, 29/2020

प्रेस नोट

*थाना चेतगंज पुलिस द्वारा दिनांक 28.08.2020 को एक अभियुक्त अब्दुल दाउद खान, 24 ग्राम
नाजायज हेरोइन व 01 अदद कट्टा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार*

दिनांक 28.08.2020 को थाना चेतगंज पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन तथा तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अब्दुल दाउद खान (उम्र 25 वर्ष) पुत्र अब्दुल मुख्तार खान निवासी- सी 13/280- जी-1 लहंगपुरा औरंगाबाद थाना सिगरा वाराणसी को पिशाचमोचन कुंड के किनारे चबूतरे के पास से समय 22.02 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 24 ग्राम नाजायज हेरोइन व 01 अदद .315 बोर कट्टा मय 01 अदद .315 बोर जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 135/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0 136/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- अब्दुल दाउद खान (उम्र 25 वर्ष) S/O अब्दुल मुख्तार खान R/O सी 13/280- G-1 लहंगपुरा औरंगाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- 24 ग्राम नाजायज हेरोइन व 01 अदद .315 बोर कट्टा मय 01 अदद .315 बोर जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह, उ0नि0 अर्जुन सिंह, का0 एजाज हुसैन, का0 अमर कुमार शाह, का0 अवधेश यादव व का0 अवनीश राय थाना चेतगंज वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी



प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी चेतगंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 29.08.2020 को प्र०नि० थाना जैतपुरा के नेतृत्व में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा लॉकडाउन के दृष्टिगत रोकथाम अपराध, भ्रमण व चेकिंग के दौरान नखवीघाट रेलवे क्रासिंग के पास से 1. राजेश विश्वकर्मा उम्र-40 वर्ष पुत्र केवल चन्द्र विश्वकर्मा निवासी ग्रा० महादेवा पो. खुसराना थाना केराकत जिला जौनपुर 2. दिलीप चौहान उम्र 36 वर्ष पुत्र स्व० रघुनाथ चौहान निवासी ग्रा. जमुनीपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ 3. रामचन्द्र हरिजन उम्र 32 वर्ष पुत्र स्व० बच्चेलाल निवासी शक्कर तालाब थाना जैतपुरा वाराणसी को समय 05.20 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 03 अदद एक्साइट की बैट्री (स्लेटी रंग) की बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पर मु०अ०स०-146/20 धारा-411 भा०द०वि० पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. राजेश विश्वकर्मा उम्र-40 वर्ष पुत्र केवल चन्द्र विश्वकर्मा निवासी ग्रा० महादेवा पो. खुसराना थाना केराकत जिला जौनपुर।
2. दिलीप चौहान उम्र 36 वर्ष पुत्र स्व० रघुनाथ चौहान निवासी ग्रा. जमुनीपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
3. रामचन्द्र हरिजन उम्र 32 वर्ष पुत्र स्व० बच्चेलाल निवासी शक्कर तालाब थाना जैतपुरा वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की 03 अदद एक्साइट की बैट्री (स्लेटी रंग)

आपराधिक इतिहास-

- मु०अ०स० 95/09 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जैतपुरा बनाम राजेश विश्वकर्मा उपरोक्त।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ०नि० अतुल कुमार अंजान, उ०नि० सुशील कुमार, हे०का० मिथिलेश कुमार सिंह, का० अजय प्रताप सिंह व का० रमेश कुमार थाना जैतपुरा वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी



प्रेस नोट

दिनांक 28.08.2020 को थाना कैण्ट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त रामबली बिन्द व वेद प्रकाश प्रजापति गिरफ्तार!

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी/पुलिस अधीक्षक नगर व अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के निर्देशन में थाना कैण्ट के मुकदमों में वांछित व पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी कैण्ट द्वारा एक टीम का गठन कर गिरफ्तारी हेतु लगाया गया। गठित टीम ने मुखबिर की सहायता से दिनांक 28.08.2020 को मु0अ0सं0 342/2020 धारा 420/406/504/506 भादवि 3(1)(द)(ध) व 3(2)5-ए एससी एसटी एक्ट, मु0अ0सं0 367/2020 धारा 420/467/468/471/120बी /34 भादवि व 3(2)5 SC/ST ACT एवं मु0अ0सं0 368/2020 धारा 420/467/468/471/120बी /34 भादवि व 3(2)5 SC/ST ACT में वांछित अभियुक्त रामबली बिन्द व वेद प्रकाश प्रजापति को जनपद भदोही से गिरफ्तार किया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ-

कड़ई से पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्तों ने बताया कि अवेसम कम्पनी के आर0के0 वर्मा (एम0डी0) व के0के0 वर्मा (सी0एम0डी0) की कम्पनी में जो मुख्य अभियुक्त हैं, उनके साथ हम लोग शेयर होल्डर थे। हम लोग कूटरचित कागजात के आधार पर अवेसम कम्पनी को खोलकर कूटरचित ब्रांड, कूटरचित रशीद, फार्म व अन्य फर्जी प्रपत्र व कागजात तैयार कर लोगों को धोखे में रखकर पांच वर्षों में पैसे को दोगुना करने का लालच देकर कई लोगों से हम लोगों ने मिलकर करोड़ों रुपये का अवेसम कम्पनी के नाम पर गबन किया। इसमें कई लोग जेल जा चुके हैं, तब से हम लोग फरार चल रहे थे। दिनांक 28.08.2020 को आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- रामबली बिन्द पुत्र सूर्यबली बिन्द ग्राम पिपरिस रामेश्वरपुर थाना कोतवाली भदोही उम्र करीब 30 वर्ष ।
- वेद प्रकाश प्रजापति पुत्र झगड प्रसाद प्रजापति ग्राम देवाजीतपुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0स0 342/2020 धारा 420/406/504/506 भादवि 3(1)(द)(ध) व 3(2)5-ए एससी एसटी एक्ट थाना कैण्ट वाराणसी।
- मु0अ0स0 367/2020 धारा 420/467/468/471/120बी /34 भादवि व 3(2)5 SC/ST ACT थाना कैण्ट वाराणसी।
- मु0अ0स0 368/2020 धारा 420/467/468/471/120बी /34 भादवि व 3(2)5 SC/ST ACT थाना कैण्ट वाराणसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 जगदीश प्रसाद शुक्ल, उ0नि0 सुधाकर प्रसाद, का0 अजय सिंह, हे0का0 जे0पी0 सिंह, का0 रामानंद यादव (क्राईम टीम) थाना कैण्ट वाराणसी।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 179/ 2020 दिनांक: अगस्त, 29/2020

प्रेस नोट

दिनांक 29.08.2020 को थाना जंसा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिलीप जायसवाल पुत्र स्व० सुदर्शन जायसवाल, निवासी-ग्राम केराकतपुर, थाना-लोहता, वाराणसी, उम्र करीब 55 वर्ष को परमपुर गेट के पास से समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 8.800 ग्राम हेरोईन नाजायज व 660 रुपया नगद बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जंसा पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 186/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- दिलीप जायसवाल पुत्र स्व० सुदर्शन जायसवाल, निवासी-ग्राम-केराकतपुर, थाना-लोहता, वाराणसी, उम्र करीब 55 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 8.800 ग्राम हेरोईन नाजायज व 660 रुपया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ०नि० विनय तिवारी, उ०नि० अजय गौड़, उ०नि० गौरव कुमार, का० संदीप सिंह व का० अवधराज थाना जंसा वाराणसी।

(पी०आर०सेल)
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी/ पुलिस अधीक्षक नगर व अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के निर्देशन में वांछित पशु तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 0647/2020 धारा 3/5क/5ख/8 गोवध निवारण अधि0 व 120B IPC थाना कैण्ट वाराणसी में वांछित अभियुक्तों व अभियुक्ता की गिरफ्तारी के लिये गठित टीम द्वारा मुखबिर की सहायता से राजकुमार राजभर को थाना सिन्धौरा से, अंकित व पंकज सिंह को महिमापुर थाना कपसेठी से व एक अभियुक्ता को सरावां थाना कपसेठी से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ-

कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्ता ने बताया कि मेरी टीम में 10-15 लोग है जो गो-तस्करी का काम करते हैं। उनमें से कुछ राजकुमार राजभर व बबलु उर्फ सुजीत पटेल, कृष्णा यादव, प्रद्युम्न शर्मा, पंकज सिंह है। ये सभी लोग मिलकर बनारस के विभिन्न क्षेत्रों से गाय व बछड़ों को खरीदने का काम करते है तथा ये लोग घुमन्तु गाय, बछड़ों व खरीदे गये गाय, बछड़ों को इकट्ठा कर मैजिक व पिकअप में लादकर सिन्धौरा और अन्य जगहों से निकलते है। आगे-आगे मैं चार पहिया वाहन में बैठकर चलती हूँ जब कभी रास्ते में समस्या होती है तो मैं उसका निपटारा कराकर गाड़ियों को आगे बढ़ा देती हूँ। हर पिकअप व मैजिक में 08 से लेकर 10 गाय, बछड़े होते हैं। प्रति गाय, बछड़े पर मुझे 5 हजार रुपये मिलता है। इस तरह से एक पिकअप या मैजिक में 10 गाय व बछड़े आते हैं। जिनसे मुझे प्रति गाड़ी 40 से 45 हजार रुपये मिलता है। यह कार्य मै गैंग बनाकर कई वर्षों से कर रही हूँ। पैसा इकट्ठा कर सभी लोगों में कार्य अनुसार बाँट देती हूँ। जरूरत पर मै अपने विकलांग भाई को पिकअप या मैजिक में आगे बैठाकर भेजती हूँ व मोबाइल फोन से बात कर डील करता है। सौदा तय हो जाने पर नगद या मेरे एकाउन्ट में पार्टी पैसा देती है। दिनांक 26.08.2020 को हमारी एक मैजिक व एक पिकअप गाड़ी थाना कैण्ट पुलिस टीम ने 11 गाय व बछड़ों के साथ पकड़ लिया था। जिसमें मेरे साथी जेल चले गये थे। तब से हम लोग फरार चल रहे थे। आज हम लोगों को अलग-अलग जगहों से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- राजकुमार राजभर पुत्र चन्द्रबली राजभर निवासी बसन्तपुर थाना सिन्धौरा वाराणसी उम्र करीब 40 वर्ष।
- पंकज सिंह पुत्र बिन्दु सिंह निवासी भोंवर थाना चोलापुर वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष।
- अंकित उर्फ अमित पुत्र शिवराम सिंह सिंह पटेल निवासी ग्राम चन्दापुर थाना चोलापुर वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष।
- एक अभियुक्ता।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, उ०नि० गिरिजाशंकर यादव, उ०नि० अशोक कुमार चौकी प्रभारी नदेसर, का० रामानन्द यादव क्राइम टीम, का० मनीष बघेल, का० प्रदीप चौहान, म०का० चन्दा शर्मा, म०का० प्रगति त्रिपाठी व म०का० अनु यादव थाना कैण्ट वाराणसी।

(पी०आर०सेल)

जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 180/ 2020 दिनांक: अगस्त, 29/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व लॉकडाउन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 29-08-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 44 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *148 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 880 वाहनों का चालान, 01 वाहन को सीज तथा 147 वाहनों से रु0-1,01,300/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 29-08-2020 को जनपद वाराणसी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1048 व्यक्तियों से रु0-73,350/- जुर्माना* जमा कराया गया।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी